

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17-12-24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन चार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पैखी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दारिखल दफतर हो व नम्बर से कम हो।

17/12/24
सहायक कलक्टर
(SDO), बाबूरा

11/12/24